झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 05 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता स्वतः संज्ञान

DISPOSED 07/04/2022

बनाम

प्रतिवादी
1. जिला आपूर्ति पदा०, पलामू।
2. प्रखण्ड आपूर्ति पदा०, मनातु।
3. श्री अर्जुन यादव, ग्रा०-डुमरी, मनातु प्र०, पलामू।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आयोग द्वारा शिकायत प्राप्ति हेतु जारी किये गये व्हाटसएट्प नं0–9142622194 पर श्री मनोज कुमार यादव, ग्राम–डुमरी, प्रखण्ड–मनातु, पलामू के परिवार द्वारा एक PH कार्ड एवं दो अन्त्योदय कार्ड रखे जाने की सूचना आयोग को प्राप्त हुई। जिसमें से PH कार्ड में आधार सीडिंग नहीं कराए जाने तथा अन्य दो अन्त्योदय राशन कार्ड में आधार सीडिंग कराकर गलत तरीके से लाभ लिये जाने का आरोप लगाया गया। शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के अवलोकन से प्रथम दृष्टया आरोप सत्य प्रतीत होता है। उक्त मामले को आयोग द्वारा गम्भीरता से लेते हुए इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–17.02.2022 निर्धारित की जाती है। सुनवाई के दौरान आयोग न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने हेतु प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मनातु को नोटिस निर्गत किया जाय। Rajan 31/01/2022	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आज दिनांक–17.02.2022 को वाद संख्या–05/2022 सुनवाई की गई।	

शिकायतकर्त्ता ने गुप्त रूप से सूचना दी थी ग्राम–डुमरी, प्रखण्ड–मनातु, जिला–पलामू के श्री मनोज कुमार यादब एवं श्री अर्जुन यादव, PH राशन कार्ड में वर्ष–2015 से आधार सीडिंग नही करा कर वर्ष –2017 से इन्होंने अलग–अलग अन्त्योदय (AAY) राशन कार्ड बनाकर 35Kg 35kg चावल का उठाव किया है।

प्रतिवादी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी मनातू द्वारा इस संबंध जाँच प्रतिवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा जाँच के कम में आरोप सत्य पाये जाने का उल्लेख है। श्री मनोज यादव एवं श्री अर्जुन यादव को इस संबंध में तामिला कराये गये नोटिस की छायाप्रति भी आयोग को उपल्बध करायी गयी।

द्वितीय पक्ष से श्री विरेन्द्र राम, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मनातू, पलामू द्वारा बताया गया कि अर्जुन यादव शारीरिक रूप से विकलांग है एवं वह अन्त्योदय कार्ड की योग्यता रखता है।

जाँच प्रतिवेदन एवं द्वितीय पक्ष को सुनकर आयोग के द्वारा आदेश दिया गया कि :–

1. श्री मनोज कुमार यादव का अन्त्योदय कार्ड रद्द किया जाय एवं गलत तरीके से किये गये राशन का उठाव का निंधारित दर के साथ वसूली कर आयोग को साक्ष्य सहित प्रस्तुत किया जाय।
2. श्री अर्जुन यादव का भी PH राशन कार्ड से नाम डिलीट किया जाय एवं सिर्फ AAY के अर्न्तगत राशन दिया जाय।
3. कार्ड के प्रत्येक व्यक्ति का आधार सींडिंग शीघ्र कराया जाय।
4. प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मनातू द्वारा पूरे प्रखण्ड में जाँच कर अयोग्य एवं एक से अधिक राशन कार्ड रखने वाले व्यक्यिों के संबंध में जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–02.03.2022 को निर्धारित की जाती है।

Received one Copy.
17.02.22

17.2.22
(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

Ranjana Kumari 17/02/2022
(डा0 रंजना कुमारी)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\Rachna\Dropbox\rachana\Court Notice.docx4

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आज दिनांक–02.03.2022 को वाद संख्या–05/2022 के मामले में पुनः सुनवाई की गई।

द्वितीय पक्ष से श्री विरेन्द्र राम, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मनातू, पलामू उपस्थित हुए।

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी मनातू जाँच प्रतिवेदन के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित हुए।

1. जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख है कि श्री मनोज कुमार का अत्योदय राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। तथा उनके द्वारा अवैध रूप से उठाये गये खाद्यान्न की कुल राशि 60,198 रू0 निर्धारित किया गया है। और निर्धारित राशि को जमा करने हेतु उनको नोटिस तामिला करा दिया गया है।
2. श्री अर्जुन यादव का नाम PH राशन कार्ड से डिलिट कर दिया गया है। तथा उनको अन्त्योदय अन्य योजना के अंर्तगत राशन दिया जा रहा है।

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को आदेश दिया गया इनके क्षेत्र में जो 47 जनवितरण प्रणाली दुकान है, इसमें से 10 डिलर के यहां जाकर जाँच करेंगे एवं जाँच प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया जाय।

सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–06.04.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि को आयोग न्यायलय के समक्ष उपस्थित होकर आपना पक्ष रखने हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी,पलामू को नोटिस निर्गत किया जाय।

2/3/2022

(हलधर महतो)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(डा0 रंजना कुमारी)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आज दिनांक–06.04.2022 को वाद सं0–05/2022 के मामले में सुनवाई की गईः–	

द्वितीय पक्ष से श्री विरेन्द्र राम, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मनातू, पलामू उपस्थित हुए।

श्री विरेन्द्र राम को पिछले सुनवाई के आदेश के अनुसार 10 जनवितरण प्रणाली दुकान जाकर जाँच करने का आदेश दिया गया था। उक्त के आलोक में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उनके द्वारा 17 जन वितरण प्रणाली दुकान जाकर जांच की गई, जिसमें कई अयोग्य, Duplicate एव मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन कार्ड रहने की बात सामने आई। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि इसकी जानकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दे दी गई है एवं इस पर कार्रवाई की जा रही है। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि मनातु प्रखण्ड के शेष 30 जन वितरण प्रणाली केन्द्रों की भी जांच शीघ्र की जाएगी। श्री मनोज कुमार द्वारा अवैध रूप से राशन कार्ड रखते हुए राशन उठाव किऐ जाने के मामले में पूर्व में दिऐ गये निदेश के आलोक में 60,198 रु० का दण्ड जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा कराया जाना था जसमें से श्री मनोज कुमार द्वारा 30,000 रु० (तीस हजार रूपये) चालान के माध्यम से जमा कर दिया गया है जिसकी छायाप्रति श्री विरेन्द्र राम के द्वारा आयोग को उपलब्ध कराया गया। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शेष राशि भी रु० 30,198 (तीस हजार एक सौ अनठानवे रूपये) एक माह के अन्दर जमा करा ~~ली जाए।~~ (जमा कराएगें)।

चूँकि प्राप्त शिकायत के आलोक में कार्रवाई पूर्ण हो गई है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

Haldhar Mahto

(हलधर महतो)
सदस्य
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(डॉ० रंजना कुमारी)
सदस्य
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\Court Hearing.docx 64